न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 14/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रामबाबू खण्डेलवाल पुत्र श्री मूलचन्द खण्डेलवाल निवासी सुन्दरदास मार्ग, दौसा विक्रेता मैसर्सः—श्री श्याम कृपा मार्केटिंग, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता मैसर्सः—श्री श्याम सेल्स एजेन्सीज, ई—6, सुरजपोल मण्डी, द्वितीय फेज, जयपुर।
3. **Sh. Rathod Rajubhaai Ukabhai, Add. Juno Talodara Road, Katya Kadi Vistar, Shill, Junagadh, Shil, Gujarat. M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd. Survey No. 54/2A, Plot No. B-1-2-3 Behind Somnath Fire Station, Riganwada, Daman, Daman and Diu. (Nominee Firm)**
4. **M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd. Survey No. 54/2A, Plot No. B-1-2-3 Behind Somnath Fire Station, Riganwada, Daman, Daman and Diu. (Firm)**

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं 1 लगायत 4 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 03.04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.06.2018 को दोपहरः 03:10 बजे मैसर्सः— श्री श्याम कृपा मार्केटिंग, सुन्दरदास मार्ग, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रामबाबू खण्डेलवाल पुत्र श्री मूलचन्द खण्डेलवाल निवासी सुन्दरदास मार्ग दौसा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में दो गत्ते के कार्टून **X** 30 टिन पैक **X** 500 एमएल घी (गोकुल) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर इनमें से 4 टिन पैक **X** 500 एमएल घी (गोकुल) नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 660 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा पैक घी (गोकुल) को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**–1924 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 15.06.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./989/एक्ट/2018/1087 दिनांक 27.06.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) के लेबल पर **"Best before 9 months from the date of packaging"** के स्थान पर **"BEST BEFORE 9 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री रामबाबू खण्डेलवाल पुत्र श्री मूलचन्द खण्डेलवाल द्वारा बहस के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी सं0 2 की फर्म श्री श्याम सेल्स एजेन्सीज जयपुर से बिल द्वारा पैक ही खरीदकर पैक ही विक्रय किया जाना व्यक्त करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 की फर्म श्री श्याम सेल्स एजेन्सीज ने **M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd Daman** से बिल नम्बर **Ghee/18-19/055** द्वारा दिनांक **16-05-2018** को खरीदा जाना व्यक्त करते हुए शास्ति से मुक्त करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 एवं 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर **"Best before 12 months as from manufacture"** लिखा गया है। जिसकी जगह इसे कैपिटल लेटर में लिखवाया जाकर सही करवा लिया जाना व्यक्त करते हुए प्रथम बार हुई गलती के लिये शास्ति से माफ करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./989/एक्ट/2018/1087 दिनांक 27.06.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी सं0 3 एवं 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के संशोधित लेबल पर **"Best before 12 months as from manufacture"** कैपिटल लैटर्स में लिखा गया है। जो कि नियमानुसार सही नहीं है। इस प्रकार यह एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ घी (गोकुल) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 एवं 4 **Sh. Rathod Rajubhaai Ukabhai, Add. Juno Talodara Road, Katya Kadi Vistar, Shill, Junagadh, Shil, Gujarat. M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd. Survey No. 54/2A, Plot No. B-1-2-3 Behind Somnath Fire Station, Riganwada, Daman, Daman and Diu.** पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 03.04.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/786-89
दिनांकः– 03.04.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. **Sh. Rathod Rajubhaai Ukabhai, Add. Juno Talodara Road, Katya Kadi Vistar, Shill, Junagadh, Shil, Gujarat-362240. M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd. Survey No. 54/2A, Plot No. B-1-2-3 Behind Somnath Fire Station, Riganwada, Daman, Daman and Diu. (Nominee Firm)**
4. **M/S:-SDP Industries Pvt. Ltd. Survey No. 54/2A, Plot No. B-1-2-3 Behind Somnath Fire Station, Riganwada, Daman, Daman and Diu. (Firm)**

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official